



ई सी जी सी लिमिटेड
ECGC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

प्र.का/दे.बी.वि./ श्रीलंका /194/2022-23

दिनांक: 06-04-2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आर आर बी व एल ए बी को छोड़कर)

महोदय/ महोदया,

विषय: "बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली – देश जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी सिद्धांत" पर भा.रि.बै. का परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी./71/21.04.103/2002-03 दिनांक 19.2.2003

उपर्युक्त विषय पर कृपया भा.रि.बै. के परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी./71/21.04.103/2002-03 दिनांक 19.2.2003 का अवलोकन करें।

2. दिनांक 07.04.2022 से श्रीलंका के देश जोखिम वर्गीकरण को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीलंका पर संशोधित हामीदारी पॉलिसी निम्नानुसार है:

देश	वर्तमान श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार	संशोधित श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार
श्रीलंका	सी1, खुली रक्षा वर्ग	सी1, प्रतिबंधित कवर श्रेणी - I (आरसीसी- I)

3. प्रतिबंधित कवर श्रेणी - I (आरसीसी- I) के अंतर्गत, परिक्रामी सीमाएं मामला-दर-मामला आधार पर विशेष रूप से अनुमोदित की जाती है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे श्रीलंका को शिपमेंट पर कवर के लिए ईसीजीसी की अपनी सर्विसिंग शाखा से संपर्क करें।

धन्यवाद

भवदीय,

विवेक तिवारी

सहायक महाप्रबंधक

देश बीमा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग



ई सी जी सी लिमिटेड
ECGC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

HO/CUD/ Sri Lanka /194/2022-23

Date: 06-04-2022

All Scheduled Commercial Banks.
(Excluding RRBs and LABs)

Dear Sir/Madam,

Sub: RBI Circular No. DBOD.BP.BC.71/21.04.103/2002-03, dated 19.2.2003 on "Risk Management Systems in Banks - Guidelines on Country Risk Management"

Please refer to the RBI circular no. DBOD.BP.BC.71/21.04.103/2002-03, dated 19.2.2003 on the above subject.

2. It has been decided to modify the country risk classification of Sri Lanka with effect from 07.04.2022. The revised underwriting policy on Sri Lanka is as under:

Country	Present Rating and Type of Cover	Revised Rating and Type of Cover
Sri Lanka	C1, Open Cover	C1, Restricted Cover Category - I (RCC - I)

3. Under RCC-I category, revolving credit limits are approved specifically on a case-to-case basis. The banks are advised to contact their servicing branch of ECGC for cover on advances pertaining to shipments to Sri Lanka.

Thanking you,

Yours faithfully,

Vivek Tiwari

Assistant General Manager

Country Underwriting & International Relations Department